

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

सं० - 79/2025

1. गुरजीतसिंह
2. गुरविन्द्र सिंह

पि० श्री करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कला
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम


1. सतनाम कौर पत्नी करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कला तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बलजिन्द्र कौर पुत्री करनैलसिंह पत्नी साहिब सिंह जाति जटसिख निवासी तरमाला
जिला श्रीमुक्तसर साहिब।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम
निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है कि वादीगण की माता सतनाम कौर के नाम से चकनं० 1 बी.
आर. डबल्यू खाता सं० 244/181 में कुल 1.518 है० आराजी के वादीगण को
ब०हि०य० खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 1 बी.आर. डबल्यू खाता
सं० 244/181 में प्रतिवादीया सं० सतनाम कौर का नाम कलमजन किए जाने के
आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि
कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का
स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन
करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड (सत्यनारायण R.A.S.)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।